प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात
दिनांक- 13.04.2025

- **अपराध नियंत्रण की दिशा में कानपुर देहात पुलिस को मिली एक और सफलता।**
- **थाना रसूलाबाद पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये जान से मारने की नियत से फायर करने की घटना कारित करने वाले 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**
- **अभियुक्त के कब्जे से घटना कारित करने में प्रयुक्त 01 अदद नाजायज देशी तमंचा 315 बोर मय 01 अदद खोखा कारतूस 315 बोर किया गया बरामद।**

कृपया अवगत कराना है कि अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर, श्री आलोक सिंह व पुलिस महानिरीक्षक, कानपुर रेन्ज, कानपुर, श्री जोगेन्द्र सिंह के कुशल मार्गदर्शन में पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के निर्देशन में जनपद कानपुर देहात में अपराध नियन्त्रण की दिशा में घटनाओं की रोकथाम व खुलासे हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में दिनांक 12.04.2025 को वादी श्री उदयभान पुत्र स्व0 राजबहादुर निवासी ग्राम रतनपुर थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात द्वारा तहरीर दी गयी कि उनकी भतीजी दिव्या सिंह पुत्री रघुवीर सिंह उम्र लगभग 22 वर्ष को गांव के ही एक युवक द्वारा दो अन्य लोगों के साथ मिलकर उसके घर में घुसकर जान से मारने की नियत से फायर कर मरणासन्न अवस्था में छोड़कर भाग गये हैं। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना रसूलाबाद पर मु0अ0सं0 137/2025 धारा 109(1)/352/3(5) बी0एन0एस0 व 3/25 आयुध अधिनियम बनाम 03 नफर नामजद अभियुक्तगण पंजीकृत किया गया। मुकदमा उपरोक्त में थाना रसूलाबाद पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए वांछित अभियुक्त मोहित सिंह पुत्र स्व0 दिलीप सिंह निवासी ग्राम रतनपुर थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात उम्र लगभग 25 वर्ष को दिनांक 12.04.2025 को समय लगभग 18.20 बजे ग्राम चतुर निवादा व रतनपुर के मध्य स्थित पानी की टंकी के पास थाना क्षेत्र रसूलाबाद से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की निशादेही पर घटना कारित करने में प्रयुक्त 01 अदद नाजायज देशी तमंचा 315 बोर मय 01 अदद खोखा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया। अन्य अभियुक्त की घटना में संलिप्तता के संबंध में साक्ष्य संकलन की कार्यवाही प्रचलित है, प्राप्त साक्ष्य/तथ्यों के आधार पर नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. मोहित सिंह पुत्र स्व0 दिलीप सिंह निवासी ग्राम रतनपुर थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात उम्र लगभग 25 वर्ष ।

बरामदगी का विवरण- 01 अदद नाजायज देशी तमंचा 315 बोर मय 01 अदद खोखा कारतूस 315 बोर बरामद।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 137/2025 धारा 109(1)/352/3(5) बी0एन0एस0 व 3/25 आयुध अधिनियम थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात।
2. मु0अ0सं0 0256/2021सधारा 323/34/452/504/506 भा0द0वि0 व 3(1)(घ)/3(1)(द) एससी एसटी एक्ट थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्त से पूछताछ करने पर बताया गया कि दिव्या सिंह से मेरी लगभग 5 वर्ष से बातचीत होती थी जिसकी शादी वर्ष 2022 में शिवपाल सिंह व मुलायम सिंह के बुआ के लड़के रवी प्रकाश सिंह निवासी गाऊपुर से हुई थी। परन्तु दिव्या सिंह का अपने पति से विवाद होने के कारण वह गांव में ही रह रही थी। दिव्या सिंह पिछले कुछ समय से किसी अन्य व्यक्ति से बातचीत करने लगी थी तथा दिव्या सिंह द्वारा दुष्कर्म का मुकदमा लगाने की धमकी देने को लेकर मुझे ब्लैकमेल किया जाता था तथा मैंने उसे काफी रूपये भी दिये हैं। दिव्या सिंह पुन: मुझसे रूपये की मांग कर रही थी तथा खेती अपने नाम कराने के लिये कह रही थी जिस कारण मैं उससे आजिज व परेशान हो गया था। इसी कारण गुस्से व आवेश में आकर कल दोपहर लगभग 1 बजे उसके घर गया। दिव्या सिंह कमरे में मौजूद थी जिसको मैंने जान से मारने की नियत से देशी तमंचा 315 बोर से सीने में एक फायर किया तथा गाली गलौज करते हुये पीछे से भाग कर चतुर निवादा से पहले पानी की टंकी के पास छिप गया व तमंचा को कुछ दूरी पर खेत की मेड़ के किनारे बेर के पेड़ के नीचे छिपा दिया था जहां से आपने मुझे गिरफ्तार कर लिया तथा मैंने आगे चलकर घटना में प्रयुक्त देशी तमंचा तथा उसकी नाल में फसा खोखा कारतूस आपको बरामद कराया था। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना है।

गिरफ्तार करने वाली थाना रसूलाबाद पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री विमल कुमार सिंह।
2. हे0का0 361 सुबोध कुमार।
3. हे0का0 332 रामवीर सिंह।
4. हे0का0 16 रूप सिंह।